

25/A
Act.

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

48/2019.

जेताशम vs भानाशम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15-10-25	<p>पञ्जाबली पेश हुई। पञ्जाबली में तहसीलदार लूणी के रिपोर्टि प्राप्ति की गई। तहसीलदार लूणी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्रामपालिका के कार के खसरा संख्या 68/1 में से आने जाने के लिए अग्रिम के खसरा संख्या 68/2 में से शुरुआत प्राप्त होने पर प्राची जलराम से पुष्टि करने पर बताया कि मौके पर खसरा संख्या 99/68 में से आपसी सहमती से शुरुआत रहे हैं चकारा 25/A के अन्तर्गत शरते की आवश्यकता नहीं है ना बताया गया तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के आधार पर प्राची का प्राथमिक प्रकरण रिजल्ट किया जाता है पञ्जाबली के द्वारा शुरुआत होकर वास्तविक रूप में हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी</p>